RPAD

## क्षेत्रीय मिवव्य निधि आयुक्त का कार्यालय

## OFFICE OF THE REGIONAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

Bhavishya Nidhi Bhavan, 341, Bandra (East), Bombay-400 051

No. MH/PE/APP/44256/ DOI BNA 121038/ 4366

Date: 9/3/2000

Rei à

PARAGONI COMBONION, WORL, MUMBER. 13.

विषय:— कर्मचारी पविषय विश्व प्रवेश क्रिक्त क्षवत्त्व अधिनियम, 1952 और उसके अधिन बनाई नई योजना-इसकी प्रयोज्यता-स्केत संख्या का कावटन।
Sub: Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provision Act, 1952 and the scheme framed thereunder—applicability thereof—Allotment of code number.

बहोबय, Sire.

- 1. बाएकी फैन्ट्री/स्वापना उसकी सभी ताक्षाए और विभागों के साथ वि से क्षेत्राणी अस्तिय निवि एवं प्रक्रिय उपलब्ध अधिनियम, 1952 और उसके ब्रधिन बनाई गई पोजना के प्रविद्यान करते में समाविष्य की गई है। उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार यह प्रकट होता है कि :--
- (1) बायकी फैक्ट्री बनुसूची 1 में उल्लिखित उद्योग का कार्य करती है जिलपर अधिनियम की धारा 1 (3) के अधिन कर्मवारी विकास निष्कि एवं शिक्षण उपलब्ध अधिनियम, 1952 नामू होता है।
- (i) Your factory is engaged in School Common one of the Industries specified in Schoole I to which the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 is applicable under Section 1 (3) (a) of the Act.
- 2. जापकी ज्यापना के लिए वर्गोइत की गई है जितवर अधिनियम को बारा 1 (3) (बी) के अधिन जारत सरकार द्वारा जारों की गई अधिनुषता के अनुसार कर्मचारी मक्तिय निर्मि एक प्रकिल उपलब्ध अधिनियम, 1952 लागू किया है।
- 3. बायको फैंकट्री/स्वायना जो कार्य करती है वह अनुसूची 1 में उत्किषित उद्योग में तथा अधिनियम की घारा 1 (3) (बो) के बनुसार मास्त सरकार बनुप्रचित स्वापनाओं के वर्ष में बन्तर्मून नहीं है। अतः आपकी स्वापना को अ-मुचिवब माना गया है।
  - (1-क) जीव प्रशास/उपसब्ध सूचना के बाधार पर क्यांनि तरकासिक स्ववय की है; लेकिन इस गर्त पर कि आपके पूर्व अवधि के प्रतेश्व सरवायित हो जाए ।
- (1-A) The coverage is provisional on the basis of enquiries mede/information available and is subject to further verification of your records for prior periods.
- (1-ल) अधिनियन की बारा (1) (4) के जनुसार कर्मचारो पविष्य निश्चि एवं प्रकिर्ण उपलब्ध अधिनियम, 1952 के स्वैष्यिक स्थ से सिस्तार के सम्बन्ध में प्राप्त अपने आवेषन थे.

  के सम्बन्ध में कर्मचारो मंबिरय निश्चि प्रकिर्ण उपलब्ध मंबिनियम नहीं बारा 1 की वच्छारा (4) हारा प्रवत्त सिक्तार का प्रयोग करते हुने मारत सरकार हारा अधिकृषमा जारी होने तक आपको स्वापना की तास्कालिक स्प के हि.

  के स्वापनी करके उसके किए एवएन्।

  वह श्रीकृत संक्या नियत को गई है।

いないというできない

- (1-क) बापकी कर्मचारी प्रविच्य निश्चि एवं प्रक्रिणे उपकाश ब्रिशियम, 1952 और उसके अधिन बचाई नई रोजना के उपबंध्यों का अनुपासन करने के पर नित्य कर है उन्त्यून की काएं।
- (1-C) The code No. MH/. (1-C) is allotted to you for the purpose of making compthe Scheme framed thereunder. This code number should invariably be quoted in all the correspondence

- फैक्ट्री/स्थापना में या उनके काम के सम्बद्ध में कार्य करने बाला कर्पचारी मुविध्य निधि बोजना, 1952 की धारा 26 के अनुसार निधि की सदस्वत
- 3. As provided in para 26 of the Employees' Provident Fund Scheme, 1952, an employee working in or in connection with the work of the factory/establishment shall be eligible for membership of the fund.
- 4 (1) हर महिने बर्धिय कर्मचारी को देस मूळ बेतान, सहायाई भक्ता (अनाज मुविधा की नगड कीमत के साथ) और अगर हो तो प्रतिधारणवर्ता / के 61%/8%/83%/19% की बर से धत्तदान नियोकता डारा देस होगा। कर्मचारी हारा देस बंबाबान नियोकता डारा देश अंबाडान के
- 4. (i) The contributions payable by the employer shall be at the rate of the sale wages, dearness allowance (including cash value of food concession) and retaining allowance, if any contribution payable by the employer.
- (2) बंशदान पूर्ण महिने में प्राप्त किये मूल केतन, महंगाई जला आधी के माधार पर परिकलित किया जाए, वाहे वह वैनिक, नाप्ताहिक, पासिक या मासिक
- (ii) The contributions shall be calculated on the basic wages, dearness allowance etc. actually drawn during the whole month whether paid on daily, weekly, fortnightly or monthly basis;
- (3) प्रत्येक बंतवान रुपये से नजियक के चतुर्वांक में परिकालत किया जाएशा। जैसे कि 125 या उसके अधिक पैसे स्पन्ने के सगके उच्च चतुर्वांक के अनुसार निये जाए।
- (iii) Each contributions shall be calculated on the nearest quarter of a rupee i. e. 125 paise more to be counted as the next higher quarter of a rupee,
- (4) अंशवान की परिमणना हेषु वेतन नजविक के कार्य में पूर्णाकित किया जाए जैसे कि 50 या उसके अधिक मैंसे एक देववा के अनुसार निने जाए और
- (iv) For the purpose of calculation of contributions the wages may be rounded off to the nearest rupee i. e. 50 paise or more being taken as one rupee and less than 50 paise ignored.

टिज्यों :- किसी थी दिन आपने 50 था 50 से महिक व्यक्तियों को कानपर रक्ता तो बाद 8% अंदबदान देने के किए उत्तरवादी होंगे।

NOTE: On your employing 50 or more than 50 persons on any day, you will be liable to pay

- (5) नियोचता प्रथमता उसके सीर कर्मचारी की सीर के देव दोनों संसवान भरें।
- (v) The employer shall in the first instance, pay both contributions payable by himself and also on behalf of the member.
- (6) टेकेचार द्वारा जामपर जनाये द्वयं वर्णवारीयों के बारे में देव अंशदाज टेकेचार वसूल करेगा और सदस्य के अंशदाज की कटीती. समान अंशदाज की प्राप्ती प्रसासनिक सर्वा भी रक्त्वम के साथ कुच्य नियोक्ता की मुपूर्त करेगा।
- (vi) In respect of employee employee by or through a contractor, the contractor shall recover to contribution payable by such employees and shall pay to the principal employer the amount of member contribution so deducted together with an equal amount of contributions and administrative charges.
- (7) मुक्य निजीक्ता पर उसके कर्नवारीयों के एवं क्षेत्रवार बारा कानपर समार्थ गये कर्मवारीयों के बारे में देव बीनो अंतवान और जनासांगक अर्थे एकम भारते की विक्लेबारी होगी।
- (vii) It shall be the responsibility of the principal employer to pay both the contributions pays by himself in respect of employees employed by him and also in respect of employees employed by through a contractor and also Administrative charges.

5. कर्मचारी को वसका बेठन देते से पहले आप उसके देलन से कर्मचारी के अंतरात की कटीती करें और आपका अवसीन एवं प्रशासनिक क्यों की के बाव प्रत्येक महिने की समाप्ति के १५ के दिन अन्दर नारबीय स्टेट बैंग हारा पीवित निश्चि के लेख में असन चालान हारा किन्सीनिवत नुकार से करें,

Which together with your own contribution and administrative charges shall, within 15 days of the close charges shall, within 15 days of the close charges in the following manner:

(क) थ. नि. मंत्रवान (बोमो कर्वचारी एवं नियोक्ता कर)

IU- DILL JE LULL

(a) P. F. contributions (both employees' and employer's) To be deposited in Employee's Provident Pend's

(स) प्रशासनिक सम्बं भी रकन

(b) Administrative charges

कर्मचारी अविच्या निधि लेखा सं 2 वें निकेंपित किया नाए।

(ग) परिवार पेन्वान अंधवान

To be deposited in Employees' Provident Fund Account No. 2.

(c) Family Pension contributions

कर्मचारी परिवार पेन्कन निधि केंक्स सं 10 में निक्षेपित किया जाए। To be deposited in Employees' Family Pension

हिप्पणी :- 1. प्रशासनिक अपों की वर देतन के, अपांत मूछ देतन, अभाज मुदिधा की नुकद कीमत के ताब महंगाई जला और अवर हो तो प्रतिधारण Fund Account No. 10. 

(2) यह जी नीट कर किया आये की बदस्य के बेतन से जया समय कटीती न करने पर नंशवान के वोनी हिस्से जुब नियोक्ता को अरने होंने क्यों की उत्तरकर्ती बेतन से पिछले अवधि के किये बकाये ज्ञावान की बसूची निर्मिष्ट हैं।

(ii) It may be noted that if timely deductions are not made from the members wages, the employer will have to pay both the shares himself as the recovery of arrears contributions for back period from the subsequent wages of the employee is prohibited.

(3) आपको सभी पात कमचारीयों के बारे में पिछले -इस पत्न की शारीज ते 30 विन के सन्तर सन्वाध्वित काते में निकेषित करना है। --- तक के महिनों के लिए पविषय निधि कुल अंकवान

(iii) You have to deposit the total P. F. contributions of the eligible employees for all past month to the from the of this letter. within 30 days from the date of this letter.

(4) धन प्रेयण हेतु सम्बन्धित चासान इस कार्यासय यां विधित्त जितों में स्थित निरिक्षण कार्यासय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

(iv) The relevant challans for the purpose of remittance of can be had from any branch of the

(5) वेक बया अवस्था क, थ. वि. लेखा सं. 1. 2, 10, 21 और 22 के नाम से सिक्षकर वान्तान की बार प्रतियों के साथ बारतीय स्टेट वैक की

(6) केचा सच्या 1. 2 और 10 में (उपयुक्त कारे के अनुसार) किये जाने वाले निक्षेप के अतिरिक्त आपको कर्मवारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना इ. इ. इ. के अन्तर्गत नेचा सं 21 और 22 में निम्मकिकित प्रकार से राशोका निक्षेप प्रत्येक यहिने की शनान्ति के बाब अगक्ते महिने के 15 दिन के अन्यर करना

6. Bosides making deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above), you are also required 6. Bosides making deposits in Account Nos. 1, 2 and 10 (as explained above), you are also required to deposit the amounts in Account Nos. 21 and 22 under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 in the manner indicated below within 15 days of the close of each month.

१ निक्षेप महबद्ध बीमा निधि लेका सं 21.

इन नेजा में निर्धोकता द्वारा वर्जकारों को वेस मूल बेतन, सहगाई जता (अनान मुनिवा की नगड कीसल के बाक) और जगर हो तो प्रतिधारण क्लों की कुल राती पर ०.५ % की वर ते अंशवान निम्नेपित

Deposit Linked Insurance Fund Account No. 21.

To this account will be deposited the contribution 0.5 % which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including cash, value of food concession) and retaining allowance, if any, payable

लेखीय बीमा निधि प्रमानन नेका सं. २२.

इस लेखा में नियोक्ता हारा कर्मचारी की वेश मूच बेतन, महंगाई चता (अनाम चुनिधा की नक्षद कींयत के बार) और अगर हो तो प्रतिधारण चत्ते की कुछ राशो वर 0.1 % की हर से प्रशासनिक सूची

(ii) Regional Insurance Fund Administration Account No.22

To this account will be deposited the administrative charges 0.1 per cent which will be the aggregate of the basic wages, dearness allowance (including the cash value of food concession) and retaining allowance, if any payable to the employees by employer.

- 7, उपयुक्त लेका सं. 1, 2, 10, 21, और 22 में किया जानेवाला निक्षेप अलग बालान हारा किया जाए एवं बैंक द्वारा प्राप्त पानती व्यालान की प्रति प्रथव सं. १२-ए (निव्नक्रिकिस क्योंदों के अनुतार) के श्राप संकरन करके इस कार्यांक्य को मेंजी जाए।
- 7. The deposit in the above Account viz. No. 1, 2, 10, 21 and 22 are to be made by separate challan and a copy of the challan as receipted by the Bank may be forwarded to this office duly attached with 12-A (explained below)
  - 8. बापको निम्नालिक्स विवर्शनयों का पोकन/प्रेयन करना है।
  - 8. You are required to maintain/forward the following returns.

याजना के अन्तर्गत फैक्ट्री/स्थापना को व्याप्ति की तारीख पर जिन्हें सबस्य बनामा आवश्यक है या की सबस्य बननेके लिए पास है उन कर्मथारोबों के बारे में केवल एक बार इन्हें इस कार्यांक्य में प्रस्तुत करना है।

(i) Form No. 9 under the EPF Scheme 1952 and Form No. 3 (FPF) under the F. P. F. Scheme, 1971. These are to be submitted to this office once in respect of those employees who are required or entitled to become members on the date of the factory/establishment is covered under the Scheme.

२. क्सभारी घ. नि. योजना १९५२ समा प. वे. नि. योजना 1971 के जन्मर्गत प्रपक्ष सं 2 इन्हें इस कार्यांकर को बैजने के जिए प्रत्येक सदस्य से हो प्रतियों में प्राप्त करना है।

(ii) Form No 2 under the EPF Scheme, 1952 and alsounder r. P. F. Scheme, 1971.

These are to be obtained in duplicate from every member for submission to this office.

(१) प्रयत्न सं. 5-ए,

यह इस कार्याक्षय को प्रस्तुत किया जाएगा। मालिकी में जगर उत्तरक्तों परिवर्तन हो जाए तो उक्ते इस अवस के अधिए इस कार्याक्षय को सुचित किया जाए।

(iii) Form No. 5-A.

This is to be submitted to this office. Any subsequent change in ownership is also to be notified to this office through this form.

(Y) 179W H. 3-47

इसे प्रत्येक सबस्य कर्मचारी के बारे में फ़ैसड़ी/ स्वायना में पोबीस किया जाया है।

(iv) Form No. 3-A

This is to be maintained at the factory/establishment in respect of every employee who is a member

(4) NOW W. 6-Q

यह बंशयान की वार्षिक विवरणी है और वसे विशिध वर्ष की समाध्य पर 30 दिल के अन्वर इस सार्थाकर की भेजा जाना है।

(v) Form No. 6-A

This is the annual return of contributions and is to be submitted to this office within 30 days of the close of the financial year,

(4) NUM N. 12-0

यह अंतरान की नातिक विषयणी है और इसे 25 लॉरीज तक इस कार्यांतम की नेवा जाना है। पारतीय स्टेड वैच में निजे नमें निजेप के पुष्टिकरण हेतु पाजान की मतियाँ इसके ताब संकान की जाए।

(vi) Form No. 12-A

This is the monthly return of contributions and is to be submitted to this office by 25th. Copies of the challen, in support of the deposits made in the State Bank of India should be attached with this.

(w) प्रपत्न सं. 5 और 10

बहु नहिने में बिन कर्मचारीयों को सबस्य बनाना गया है तथा बिन कनचारीयों ने सेवा स्थाप दी है। बनके सम्बन्धि विवर्तनयों है किन्हे 25 तारीब सक इस कार्याक्य को नेवा बाता है।

(vii) Form Nos. 5 and 10

These are the returns of employees who have become new members or have left the service in the month and are to be submitted to this

9. कर्वचारी पविष्य निश्चि योषना, परिवार केन्सन वोजना सचा निश्चेप सहबद्ध बीना वोजना १९७६ के बन्तर्यत सभी निर्धारित प्रथम प्रविच्य निश्चेष कि कार्यांप्य में उपलब्ध हैं और आपकी पहुंचान पर उत्तरी पूर्ति की आएगी। योजना के निर्धारित विषिन्न प्रथमों का संक्षिप्त विधारण सनुभानक "य्" में विया है। सीम गणक भी इसके संसन्त है।

9. All the forms prescribed under the Employees' Provident Funds Scheme, the Family Pension Fund Scheme and the Doposit Linked Insurance Scheme, 1976 are available in the Provident Fund Inspector's Office and will be supplied on receipt of your indent. A summary of the various forms prescribed under the Scheme is given as Annexure 'A'. A ready reckoner is also enclosed.

- 10. इसके अलावा बाएको सेवा वें लिए गर्व प्रत्येक कर्मचारी से प्रथत छं. 11 वें निवेदन बाप्त करना होगा विसते यह पहले धविषय निश्चि योजना का सबस्य था या नहीं इक्तका पता वक्त बके। सबस्यता के निर्ध समनेवाली योग्यता की बांच करने हेतु प्रत्येक स्थापना असदस्य कनवारीयों के बारे ने पासता रिवेक्टर रखेगी।
- . 10. Besides, you should also take a declaration in form No. 11 from every employee who is taken in employment to ascertain as to whether or not he was already a member of the Provident Fund Scheme.
- 11. निम्मिकित प्राप्त के अनुवार एक निरिक्षक पुलिका रखी जाए एक डीका-डिप्पणी क्वें अपने के किए असे वरिष्य निधि निरीक्षक को प्रस्तुत किया
- 11. An Inspection book in the following proforms may also be maintained and produced to the Provident Fund Inspector for recording his observations:

(1)	मविष्य निर्मित निरोक्तन का नाम
(i)	Name of the Provident Fund Inspector She R'IC Charola
(2)	नांच किये गये लेका को जबाँव
(ii)	Period for which accounts are checked
(3)	भेट को तारीख
(iii)	Date of visit
(5)	टोका विज्ञको
(iv)	Observations

б

- 13. यह युनिश्चित किया थाए कि निर्धि की देव राशी निर्धिति समय में मरनी है। विश्ववित समायनी सर्वेकारी विश्ववित निर्धि एवं प्रविश्व प्रव प्रविश्व प्र
- 13. It is important to ensure that the amount due to the Fund is paid within the prescribed time limit. Delayed payments are liable to damages upto hundred per cent of the arrears as provided in Section 14-B of the Employees' Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952.
  - 14. इसके वितिष्यत देवता की अदेनगी तथा विकरणियों की ब-मस्तृति के लिए विविधीन भी कताया आएगा।
  - 14. Besides, Prosecution could also lie for non-payment of dues and for non-submission of returns.
- 15. इस कार्यासय के निरीक्षक आपकी स्वापना को मेट देने। इसलिए लाफ्के िवेशन है की उन्हें आवश्यक सहयोग दे। सवापि, जगर आपको कोई कटिनाई महतून हो या आप किसी प्रकार के मार्गकर्शन की अपेका रजते हैं; तो इस आपीसय को या निज्ञानिक्सिय यसे यर मिक्स निरीक्षक को जिल्ल सकते हैं।
- 15. An Inspector of this office will be visiting your establishment. You are requested to please afford him necessary co-operation. However, if you experience any difficulty or desire any guidance, you may please write to this office or the Provident Fund Inspector whose address is given below.

पविषय निधि निरीक्षक	
A STATE OF THE STA	

नवतीय,

सेनीय पविष्य निश्चि बायुक्त, नहाराष्ट्र तथा गोवा.

Provident Fund Inspector

sho R.K. Charren

Please acknowledge receipt of this communication.

Yours faithfully,

17.76

व्याः सार पर्य

Regional Provident Pand Commissioner, Maharashtra and Goa. संस्थानक :

encl.

\*

ħ

- 1 नकेत संस्था के भावंदन सम्बन्धि सूचना
- 1. Instruction regarding allotment of A/c number and filling up of Scheme.
- 2. Instructions regarding transfer of previous Provident Fund accumulations and transfer of securities.
- 3. Ready Reckoner for calculating P. F. contributions/F. P. contribution/Deposit Linked Insurance

सेवा संक्या के शावंटन सम्बन्धि सुचना

INSTRUCTION REGARDING ALLOTMENT OF ACCOUNT NUMBER

फैक्ट्री स्थायना की संकेत संख्या के अन्तर्गत योगकर्ता कर्यवारी की लेखा संख्या कांबक तय से होगी । अत्येक कैक्ट्री/स्थायना आपनी खूब की क्यसंस्था बनाएगी एवं निश्च के जितने घोगकर्ता है जसनी ही क्रमकंथा होगी। कैक्ट्री/स्थायना की सकेत संख्या क्यसंस्था के नहते नोडनेपर सम्बन्धित कर्यवारी/धोगकर्ती को अविष्य निश्च की पूर्ण नेता संख्या स्थार होगी। उचाहरण के तौरपर, बगर नायको फैक्ट्री/स्थायना में 52 मोगकर्ता है तो उनकी पूर्ण प्रविच्य निश्च केला पंत्र्या एक्एप्/306/3, मोर इसी तरह लगातार एक्एप्/306/52 तक होगी। जिससे एक्एप्/306 यह खेक्ट्री/स्थायना की अ-परिवर्तनीय सकेत संख्या मुचित है और संख्यारमक कर्माक घोगकर्ता के किए जियत की गयो केला संख्या पूर्वित करते हैं। तकेत संख्या की तरह बोगकर्ता को अ-परिवर्तनीय की गयी लेखा संख्या भी अपरिवर्तनीय होगी। घोगकर्तान सेवा त्याप देने पर उसका लेखा संब हो गया हो कच्च की लेखा संख्या तिका संख्या प्रविद्य पत्र रखी वाए। उसे किसी नवे सब्य के किए किर से नियस न मी जाए। घोगकर्ता का फैक्ट्री/स्थापना से वह कार्य करना था उसमें उसकी केला संख्या व्यवस्थ रहेगी लेकिन किसी अन्य को नियस नहीं की आएगी। सेबीय प्रविद्य निश्च आयुक्त और कैक्ट्री/स्थापना के बीच होनेवाले प्रवास ने योगकर्ता की लेखा संख्या उद्युक्त की आयुनी।

The employee's subscriber's account number will be a running number under the code number of the factory/establishment. Each factory/establishment having a serial of it; own and as many numbers in the sorial as there are subscribers to the Fund. The running numbers prefixed with the code number of the factory/establishment will be the full Provident Fund Account Number of the employee/subscriber concerned. For example, if there are 52 subscribers in a factory/establishment their full Provident Fund Account Numbers will be MH/306/1, MH/306/2, MH/306/3, and so on till MH/306/52, where MH/306 denotes the unalterable factory/establishment's code number and the running numerical numbers denote the Account Number allotted to each subscriber, like the code number, the account number, once allotted to the subscriber will not be changed when he quits service and his account is closed, the number of the closed account will be left blank and WILL NOT BE RE-ALLOTTED TO ANY NEW MEMBER. On transfer of a subscriber from one factory/establishment he joins and his account number in the factory/establishment in which he was last employed will become inoperative and will not be re-allotted to and one. The Account Number of each subscriber must be quoted in all correspondence between the Regional Provident Fund Commissioner and the factory/establishment and vice versa.